न्यायालय–प्रथम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,देहरादून।
प्रकीर्ण प्रार्थनापत्र संख्या 1134/2026
राज्य बनाम अज्ञात

प्रार्थी– अमान मलिक पुत्र मुर्तजा मलिक, निवासी– 252/2, वार्ड नं0–89, इंदिरा एनक्लेव, थाना बसंत विहार, देहरादून।

मु0अ0सं0–222/2026
अंतर्गत धारा 303(2) बी.एन.एस.
थाना पटेलनगर, देहरादून।

दिनांक 08.04.2026

प्रार्थी अमान मलिक की ओर से यह वाहन रिलीज प्रार्थना पत्र, मु0अ0सं0 222/2026, अं0/धारा 303(2) बी.एन.एस. थाना पटेलनगर, देहरादून जरिये विद्वान अधिवक्ता श्री अर्चित गुप्ता, वाहन संख्या UK07 HF 6737 को अपने पक्ष में रिलीज कराने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रार्थी उक्त वाहन का पंजीकृत स्वामी है। प्रार्थी का उक्त वाहन चोरी हो गया था जिसकी रिपोर्ट प्रार्थी द्वारा थाना पटेलनगर में दर्ज कराई थी, थाना पटेलनगर पुलिस द्वारा उक्त वाहन को बरामद कर लिया गया है, जिसे प्रार्थी अपने पक्ष में रिलीज कराना चाहता है। आदि कथन करते हुए उपर्युक्त वाहन, प्रार्थी के पक्ष में रिलीज किये जाने की याचना की गई है।

इस संबंध में संबंधित थाना पटेलनगर देहरादून से रिपोर्ट मंगाई गई, जिसके अनुसार उक्त वाहन मु0अ0सं0 222/26 धारा 303(2) बी.एन.एस. में थाना हाजा में निरूद्ध होना तथा उक्त वाहन को वाहन स्वामी के हक में रिलीज किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होने का कथन किया गया है।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

प्रार्थी की ओर से उक्त वाहन से सम्बन्ध में आधार कार्ड एवं वाहन की आर0सी0 आदि प्रपत्र प्रस्तुत किए गए, जिनके अवलोकन से प्रार्थी उपर्युक्त वाहन का स्वामी होना प्रतीत होता है। वाद के निस्तारण में अभी विलम्ब है, तब तक उपर्युक्त वाहन को थाने पर रखा गया तो उसके खराब होने का अन्देशा हैं।

इसके अतिरिक्त माननीय उच्चतम न्यायालय ने सुन्दर भाई अम्बा लाल देसाई बनाम गुजरात राज्य एआईआर 2003 सु0को0 पेज 638 में यह निर्देश दिए हैं कि माल को अनावश्यक रूप से थाना परिसर में न रखा जाय।

उक्त परिस्थितियों में उपर्युक्त वाहन संख्या UK07 HF 6737 को प्रार्थी के पक्ष में निम्न शर्तो पर रिलीज किया जाता हैः–

1. प्रार्थी मु0 70,000/– रू0 की धनराशि का बन्धपत्र व समान धनराशि का एक प्रतिभू पेश करे।
2. प्रार्थी इस बात की अण्डरटेकिंग दाखिल करे कि वह विचारण के दौरान न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर उपरोक्त वाहन, को अपने स्वयं के खर्चे पर पेश करेगा।
3. यह कि दौरान विचारण वह वाहन को न किसी को बेचेगा, न किसी अन्य प्रकार से खुर्द–बुर्द करेगा व न ही उसके रंग रूप में कोई परिवर्तन करेगा।
4. प्रार्थी पेश किये गये दस्तावेजो की फोटोप्रति पत्रावली पर दाखिल करेगा।

संबंधित थानाध्यक्ष, पटेलनगर देहरादून को आदेशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत वाहन यदि किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो, उसे इस मामले में, प्रार्थी के पक्ष में नियमानुसार सुपुर्द करे।

(संजीव कुमार)
प्रथम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
देहरादून।